न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 23 / 2025	2025 / 83	11.02.2025	02.04.2025

1– खिल्लू खान पुत्र कालू खान जाति मेव निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 12.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2990 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री रत्तीराम चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2990 निर्णय दिनांक 12.11.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 1144 रकबा 0.450 है0 का 3 / 8 हिस्सा (0.1687 है0) वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट द्वारा मूल खातेदार रिहाना पत्नी निसार अहमद जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास से बेबाक कीमत अदा कर खरीद की हुई है। जिसका बयनामा मिन अपीलान्ट के हक में दिनाक 17.09.2024 को लिखा जाकर उपपंजीयक किशनगढबास के यहा दिनाक 17.09.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 615 में पृष्ट संख्या 29 क्रंम संख्या 202403359101751 पर पंजीबद्व किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.450 है0 में मिन अपीलान्ट का पूर्व में भी 3 / 8 हिस्सा खातेदारी का दर्ज हो रहा है। इस प्रकार मिन अपीलान्ट द्वारा खरीद किया गया 3 / 8 हिस्सा व मिन अपीलान्ट का स्वयं का 3 / 8 हिस्सा मिलाकर कुल 3 / 4 हिस्सा बनता है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त बयनामा के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट व उसके अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी के यहा आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 2990 दर्ज किया जाकर मुताबिक पंजीकृत विक्रय लेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जॉच एंव आदेशार्थ दिनाक 14.10.2024 को रेस्पोडेन्ट को भेज दिया किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय दिनाक 12.11.2024 पारित करते हुऐ अपने निर्णय में दर्ज किया गया कि पटवारी रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज मिसमेच है, इस लिए नामान्तकरण स्वीकार नही नामान्तकरण में दर्ज करते हुऐ नामान्तकरण निरस्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुऐ मिन अपीलान्ट के दस्तावेज व बयनामा व राजस्व रिकार्ड की सही से जॉच नही की गयी। और बेजा रूप से अपना निर्णय पारित कर नामान्तकरण निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया गया। आराजी खसरा न0 1144 रकबा 0.450 है0 वाके ग्राम खानपुर मेवान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2073 लगायत 2076 में मिन अपीलान्ट का 3 / 8 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

हो रहा है, तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन अपीलान्ट का नाम केवल खिल्लू पुत्र कालू दर्ज हो रहा है, जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के रिहाना के खरीद किये गये 3/8 हिस्से की बावत बयनामा में अपना नाम मुताबिक आधार कार्ड संख्या 857679597933 के खिल्लू खान दर्ज करवाया जिस आधार पर बयनामा रेस्पोडेन्ट के अधिनस्थ अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, मिन अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम केवल खिल्लू दर्ज हो रहा है, जबकि अपीलान्ट के आधार कार्ड में अपीलान्ट का पूरा नाम खिल्लू खान पुत्र कालू खान दर्ज हो रहा है, जो नाम मिन अपीलान्ट का ही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्ट के दस्तावेजात का बारिकी से अवलोकन किये बिना व मौके की कब्जा काश्त के विपरित नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपीलान्ट उक्त आराजी के अपने 3/4 सालिम हक–हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। मिन अपीलान्ट के हक–हिस्से की आराजी से किसी दिगर का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके की कब्जा काश्त के विपरित बिला अपीलान्ट के दस्तावेजो का बारिकी से अवलोकन किये अपना निर्णय पारित कर नामान्तकरण निरस्त किया गया है। अपीलान्ट दिनाक 01.01.2025 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने गया तक अपीलान्ट की जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया है। जिस पर नकल हेतु आवेदन किया गया नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह–मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन किया है, कि दिनाक 12.11.2024 से दिनाक 08.01.2025 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2990 वाके ग्राम खानपुर मेवान निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 12.11.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2919 के विरूद्व दिनाक 08.01.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 27 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.11.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 01.01.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 1144 रकबा 0.450 है0 का 3/8 हिस्सा (0.1687 है0) वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट द्वारा मूल खातेदार रिहाना पत्नी निसार अहमद जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास से बेबाक कीमत अदा कर खरीद की हुई है। जिसका बयनामा मिन अपीलान्ट के हक में दिनाक 17.09.2024 को लिखा जाकर उप पंजीयक किशनगढबास के यहा दिनाक 17.09.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 615 में पृष्ट संख्या 29 क्रंम संख्या 202403359101751 पर पंजीबद्व किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.450 है0 में अपीलान्ट का पूर्व में भी 3/8 हिस्सा खातेदारी का दर्ज हो रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा खरीद किया गया 3/8 हिस्सा व अपीलान्ट का स्वयं का 3/8 हिस्सा मिलाकर कुल 3/4 हिस्सा बनता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त बयनामा के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु तहत अदालत के यहा आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 2990 दर्ज किया जाकर मुताबिक पंजीकृत विक्रय लेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते आदेशार्थ दिनाक 14.10.2024 को पेश किया गया किन्तु तहत अदालत के द्वारा निर्णय में दर्ज किया गया कि पटवारी रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज मिसमेच है, इस लिए नामान्तकरण स्वीकार नही नामान्तकरण में दर्ज करते

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

हुऐ नामान्तकरण निरस्त किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, अपीलान्ट का नाम खिल्लू व खिल्लू खान दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है, के बाबत पुनः जाँच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2990 ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)